No.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/1147

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur

B-15, Garden Estate, IPSA, Shahjahanpur-242001
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांकः 28.06.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद– पीलीभीत।

विषयः–जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 731K (रढ़ैता–बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक–3947/15–1 पीलीभीत दिनांक 16.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक 13.06.2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया है।

2. उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दुवार सूचना निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Condition	Complaince/Undertaking
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तुत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 90 ha. degraded forest land in Unchadeeh/Kotakandela Forest Block of Bargarh Range, Chitrakoot Forest Division, District-Pilibhit at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	वन विभाग के सम्बन्धित वन प्रभाग के स्तर से वांछित है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि 44.376x2 88.752 हे0 के स्थान पर 90 हे0 वन भूमि 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु मांग की गयी आवश्यक धनराशि रू0–2,82,54,300.00 (रूपये दो करोड़ बयासी लाख चौवन हजार तीन सौ मात्र) ई पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से CAMPA Fund में UTR No. CNRBR52022062785039812 द्वारा जमा करायी जा चुकी है।

Aman Kumar Trigun

4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 44.376 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 44.376 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0—12,28,590.00 प्रति हे0 की दर से रू0—5,45,19,910.00 (रूपये पाँच करोड़ पैंतालिस लाख उन्नीस हजार नौ सौ दस मात्र) ई पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से CAMPA Fund में UTR No. CNRBR52022062785039812 द्वारा जमा करायी जा चुकी है।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted Forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यदि Net Present Value (NPV) में कोई वृद्धि की जाती है तो वह मान्य होगी।
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to 26427 trees/minimum numbers in the diverted Forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि बिन्दु सं0—6 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7.	The complete compliance of FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed Certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।
8.	No violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.	————
9.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA No. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	अनुबन्ध के अनुसार संवेदक (Contractor) द्वारा उपलब्ध उपयुक्त स्थानों पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा जिसकी लागत अनुबन्धित धनराशि में सम्मिलित है।
10.	Road side plantation shall be carried out at the cost of User Agency by the Forest Department.	
11.	The scheme for the same shall be provided by the State Government.	————

Aman Kumar Trigun

12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Areas.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि नियमानुसार गति सीमा सम्बन्धी बोर्ड लगाया जायेगा।
13.	The User Agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL /FAC/ REC.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रकरण में CWLW/NBWL/FAC/REC से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उक्त परियोजना हेतु Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the Forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि वह प्रस्तावित वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं करायेगा।
17.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि Sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided to the labourer alter purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
18.	The boundary of the diverted Forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार संरक्षित वन भूमि की सीमा का सीमांकन किया जायेगा।
19.	No additional or new path will be constructed inside the Forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि परियोजना के निस्पादन हेतु सामग्री को ले जाने हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the User Agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि परियोजना की अवधि में प्रयोक्ता अभिकरण या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

Aman Kumar Trigun

क्रमशः....4/—

23.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencement of works.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनवद्ध है कि प्रकरण में कार्य किये जाने से पूर्व प्रभावित क्षेत्रफल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की KML को वन विभाग के सहयोग से ई ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
24.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29.01.2018.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि उक्त शर्तों का उलंघन नहीं किया जायेगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018 मान्य होगी।
25.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of Forests & Wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि अन्य शर्त जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित होगी वह मान्य होगी।
26.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि ई पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से CAMPA Fund में जमा करायी जायेगी है। उल्लेखनीय है कि बिन्दु–3 एवं 4 में वांछित धनराशि उक्त पोर्टल के माध्यम से CAMPA Fund में जमा करायी गयी है।
27.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार है।

3. अतएव आपसे सादर आग्रह है कि उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर कार्यादेश एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति अतिशीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Aman Kumar Trigun

(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियंता (EAP Zone), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भू–तल, टॉवर–1, जीवन भारती भवन, 124, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
4. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।
5. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

शर्त संख्या–1

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–5

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के पुर्नरूद्धार एवं उन्नयीकरण कार्य में आवश्यक 44.376 हे0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग की जायेगी। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि में यदि कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो, शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) के अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान वन विभाग को किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

<u>*शर्त संख्या–6*</u>

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन हेतु मांग की गयी आवश्यक धनराशि को तत्समय वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–12

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत नियमानुसार गति सीमा सम्बन्धी बोर्ड लगाया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–13

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–14

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–15

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–16

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं करायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–17

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत Sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided to the labourer alter purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–18

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार संरक्षित वन भूमि की सीमा का सीमांकन किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

<u>शर्त संख्या–19</u>

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के निस्पादन हेतु सामग्री को ले जाने हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–20

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत परियोजना की अवधि में प्रयोक्ता अभिकरण या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–21

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या—22

वचनवद्धता प्रमाण—पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि का भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

Aman Kumar Trigun

(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director

Ministry of Road Transport & Highway

Project Implementation Unit,

Shahjahanpur

शर्त संख्या–23

वचन वद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49621/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनवद्ध है कि शर्त संख्या–23 के अनुपालन में प्रकरण में कार्य किये जाने से पूर्व प्रभावित क्षेत्रफल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की **KML** को वन विभाग के सहयोग से ई ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–24

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत अनुमति हेतु निर्गत किसी भी शर्त का उलंघन नहीं किया जायेगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Guideline F.No.11-42/2017-FC dt. 29/01/2018 मान्य होगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या–25

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत, अन्य शर्त जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित होगी वह मान्य होगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

No.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/ 1195 -98
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
B-15, Garden Estate, IPSA, Shahjahanpur-242001
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांकः 07.07.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद– पीलीभीत।

विषयः–जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K (बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि पर बाधक 26427 वृक्षों के छपान एवं पातन अनुमति शुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 3946/15–1, पीलीभीत, दिनांक 16.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K (बीसलपुर–पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि पर बाधक 26427 वृक्षों के छपान एवं पातन अनुमति शुल्क उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा 26427 वृक्षों के छपान शुल्क रू–2,64,270.00 एवं पातन अनुमति शुल्क रू–26,42,700.00 का अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट आपको मूल रूप में प्रेषित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	विवरण	मूल्य
1.	डिमांड ड्राफ्ट संख्या–456760 दिनांक 28.06.2022	रू–26,42,700.00
2.	डिमांड ड्राफ्ट संख्या–456761 दिनांक 28.06.2022	रू–2,64,270.00

3. अतः आपसे सादर आग्रह है कि उक्त धनराशि को प्राप्त होने के उपरान्त 26427 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही अतिशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया उक्त वर्णित 02 डिमांड ड्राफ्ट के मूल रूप में प्राप्ति की पुष्टि हेतु पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्त विवरण के अनुसार 02 डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न।

Recieved 13/7/2022

13/07/2022

O/c

भवदीय,

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ–226022
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।
3. जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत – **सूचनार्थ प्रेषित।**

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

O/c